पत्रांक –10/न 4–16/2002 मा0........../–(फोल्डर–9)
बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
बिहार, पटना

प्रेषक,
श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

सेवा में,
श्री अशोक गांगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनांक

विषयः– सन शाइन रेसीडेनशीयल पब्लिक स्कूल, मनेर को अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाशय्

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 के आलोक में विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा की गयी, जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत् है :–

1. विद्यालय का संचालन सोसाईटी रेजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत निबंधित ट्रस्ट "मानव सेवा चक्र" के द्वारा किया जा रहा है तथा विद्यालय ने निबंधित सोसाईटी में एक परिवार का प्रभुत्व न होने की सूचना दी गयी है। शपथ पत्र के द्वारा यह भी बताया गया है कि ट्रस्ट के सदस्य एक दूसरे से संबंधित नही है। ट्रस्ट के सदस्यों की सूची दी गयी है। सभी सदस्यों का पेशा समाजिक सेवा बताया गया है। सामाजिक सेवा एक सामान्य शब्द है जिससे वास्तविक पेशा का ज्ञान नहीं होता है। अनिवार्य शर्त्त के अनुरूप ट्रस्ट के सदस्यों के वास्तविक पेशा की जानकारी आवश्यक है। केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसे सुनिश्चित कर सकेगा।
2. विद्यालय ने किसी निबंधित सोसाईटी/न्यास के फ्रेन्चाईजी का उपयोग अथवा किसी अन्य विद्यालय के brand name का उपयोग नही करने का दावा किया है।
3. विद्यालय को 30 वर्षो के निबंधित लीज पर 2 एकड़ भूमि उपलब्ध है। विद्यालय की भूमि पर ही विद्यालय का भवन निमार्णाधीन है। तत्काल विद्यालय 33 वर्षो की निबन्धित लिज पर लिये गये किराये के भवन में संचालित है। आवेदन के अनुसार किराया का भवन भी केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्धारित मानक के अनुरूप है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के निरीक्षण दल को विद्यालय का स्थल निरीक्षण कर विद्यालय के द्वारा दी गयी सूचना को सम्पुष्ट कर लेना होगा। यह भी देखना होगा कि निमार्णाधीन भवन और किराया के भवन में कितनी दूरी है।
4. विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहित 15 शिक्षक है जिनमें 12 प्रशिक्षित है। शिक्षको की नियुक्ति विज्ञापन निकाल कर विहित प्रक्रिया से करने की सूचना दी गयी है। लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है जिससे यह प्रतीत हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का पालन कर इसे वस्तुनिष्ठ ढंग से किया गया हो। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जाचोपरान्त यह सुनिश्चित कर सकेगा कि शिक्षकों की योग्यता NCTE के मापदण्ड के अनुरूप हो तथा उनकी नियुक्ति विहित प्रक्रिया से समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से की गयी हो।
5. विद्यालय के द्वारा हिन्दी विषय पढ़ाने का दावा किया गया है ।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित टयूशन शुल्क एवं अन्य प्रकार के शुल्क, वार्षिक लेखा, अंकेक्षण आदि प्रति वर्ष सत्र चालू होने के पूर्व सार्वजनिक करने की सूचना दी गयी है। और यह भी सहमति शपथ पत्र के द्वारा दी गयी है कि भविष्य में भी ऐसा ही किया जाएगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गई है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार है । अपेक्षित शर्त्तों के अनुसार :–

(i) विद्यालय में क्षमता का 25% नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नही लिया जायेगा । ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएँ तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/– रूपये प्रतिवर्ष होगें।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के0जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नही लिया जायेगा । अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुलें तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा ।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी ।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नही होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80% राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी ।

8. विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जॉच कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है ।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालयों के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं आपेक्षित शर्त्तो का अनुपालन किया जा रहा है । स्कूल को यह शर्त्ते सार्वजनिक करनी होगी तथा इनका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेवसाइट में करना होगा ।

10. शर्त्तो के उल्लंघन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा संबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी ।

11. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में एवं उपर वर्णित शर्त्तो के आधार सन साइन रेसीडेनशीयल पब्लिक स्कूल, मनेर को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति दी जाती है

12. विद्यालय से प्राप्त पत्र दिनांक 06.08.2006 की छायाप्रति संलग्न है ।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक –यथोक्त

ह0/–
(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

ज्ञापांक – 715 पटना, दिनांक:– 15.11.06

प्रतिलिपि – प्राचार्य, सन शाइन रेसीडेनशीयल पब्लिक स्कूल, मनेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

Registration no: (23013982023530143232) Date: (24-06-2023) Valid till: (24-6-2026)

जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | PATNA

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना

प्रमाण पत्र

सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

SUN SHINE RESIDENTIAL PUBLIC SCHOOL

SUN SHINE RESIDENTIAL PUBLIC SCHOOL

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र ।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक. 30-05-2023 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय त्रिसदस्यीय समिति के बैठक दिनांक : 24-06-2023 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय SUN SHINE RESIDENTIAL PUBLIC SCHOOL, SUN SHINE RESIDENTIAL PUBLIC SCHOOL, MOLANIPUR, 801108 को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षा 24-06-2023 से 24-6-2026 अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।

2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे ।

3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

4. कंडिका 3 में उध्दत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।

5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे. :

(I) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा ।

(II) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा ।

(III) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(IV) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा ।

(V) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा ।

(VI) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।

(VII) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे ।

(VIII) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे ।

8. विद्यालय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा ।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा ।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः

(I) विद्यालय परिसर क क्षेत्रफल :- 300 डिसमिल

(II) कुल निर्मित क्षेत्र :- 300 डिसमिल

(III) खेल के मैदान क क्षेत्र :- 1. PLAY GROUND OF - KABADDI, KHO-KHO, BASKETBALL, HANDBALL,VOLLEYBALL,BADMINTON,CRICKET,SWING & SLIDE 2. SAPRATE LABORATORY OF PHYSICS, CHEMISTRY,BIOLOGY,MATHAMATICS,SOCIAL SCIENCE, COMPUTER LAB,LIEBRARY, SMART CLASS

(IV) वर्ग कक्षों की कुल संख्या :- 35

(V) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्ष :- 3

(VI) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय :- Both Indian and Western , Boys :- 28 , Girls 28

(VII) पेयजल की सुविधा :- 10

(VIII) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 2

(IX) बाधारहित पहुँच,[ ] :-

(X) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कुद उपकरण/ पुस्तकालय :- GLOB , MAP , CHART , SMART BOARD, COMPUTER, PROJECTOR, SOUND SYSTEM, , HANDBALL SET, BASKETBALL SET, CRICKET SET, BADMINTON SET, KHO-KHO SET, JHULA , (Y , 996 , NewsPaper MagaZine:- 10)

11. कोई भी अपस्वीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा ।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास केलिए होगा ।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा ।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा ।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी ।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या [23013982023530143232, 2023] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए ।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समाय "माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा ।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए ।

19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना 634

24/6/2023

विश्वासभाजन
ह० /-
जिला शिक्षा पदाधिकारी, PATNA
शिक्षा विभाग , बिहार सरकार

NOC LETTER

APPENDIX-III

FORMAT OF CERTIFICATE TO BE ISSUED BY THE DISTRICT EDUCATION OFFICER IN RESPECT OF SCHOOLS ALREADY AFFILIATED WITH THE BOARD AND SEEKING EXTENSION/UPGRADATION OF AFFILIATION WITH THE CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(In accordance with **School Safety Policy, 2016** issued by the NDMA, **Manual on Safety and Security of Children in Schools** developed by NCPCR and the **National Building Code**)

PART-A

(This part is to be filled-up by the school and to be produced before the District Education Officer along with all supporting documents and certificates in original)

GENERAL INFORMATION

1	Affiliation Number allotted by CBSE to the school:	330239
2	Name of the School as per affiliation letter of CBSE:	SUN SHINE RESIDENTIAL PUBLIC SCHOOL, MANER
3	Address of the School:	N.H.-30, MOLANIPUR, MANER, PATNA - 801108, BIHAR
4	Standard/level/class up to which the school is running:	I - XII
5	Is the name and address of school in CBSE affiliation letter and State NOC/Recognition/U-DISE same exactly the same	YES
6	U-DISE code allotted to the school:	10280703805
7	Name and address of the Trust/Society/ Company(under section-8) running the School as on date	MANAV SEVA CHAKRA, MANER, PATNA - 801108
8	Is the Trust/Society/ Company duly registered with the competent registering authority and the registration is valid as on date?	YES
9	Purpose of present application:	EXTENSION OF AFFILIATION
10	Location of school	AT - NH - 30 , NEAR MOLANIPUR MIDDLE SCHOOL, MANER, PATNA - 801108, BIHAR

Satish Kumar

(Signature of Principal)

(Signature of D.E.O.)
जिला शिक्षा पदाधिकारी
पटना

11	Has the school obtained Recognition Certificate from the State Government from class-1 to 8th?	YES
12	Number of Recognition Certificate from class-1 to 8th and date of issue:	(23013982023530143232) 24-06-2023
13	Is the School affiliated to any other board besides CBSE for Class-X or XII examinations?	NO
INFORMATION REGARDING LAND DETAILS AND OWNERSHIP		
14	Is the school situated on a single contiguous plot of land bounded on all sides by a Pucca Boundary Wall?	YES
15	Are both the School and the Play Ground situated in a single compound bounded by a single continuous Boundary Wall on all sides?	YES
16	Total area (in square meters) in respect of 13 and 14 above on which the school is situated:	12140 sq. mtr.
17	The land is in the possession of the school/ Trust/Society/Company legally by way of:	SOCIETY
18	Name of the Owner/Lessee of the land in respect of point-16 above:	MANAV SEVA CHAKRA SOCIETY
19	In case the land is in the possession of the society/school by way of lease as per State Government norms, the period of the lease:	NO
20	Is any public road, canal or thorough-fare, HT line etc. passing through the land in respect of point-15 above?	NO
INFORMATION REGARDING ESSENTIAL SAFETY REQUIREMENTS		
21	Has the school been inspected by the Government engineer and the school building been found structurally safe for running a school?	YES
21(a)	If yes the date of last inspection:	17-06-2023
22	Has the school been inspected by the officer of Government Fire Department and the school building been declared safe for school from the point of view of fire safety?	YES
22(a)	If yes the date of last inspection:	10-06-2023
23	Has the school compound been checked by the public health department and the health and sanitary conditions been found to be satisfactory and the water has been found safe for drinking?	YES
23(a)	If yes the date of last inspection:	20-06-2023

Satish Kumar

(Signature of Principal)

(Signature of D.E.O.)
जिला शिक्षा पदाधिकारी
पटना

APPENDIX-III (02)

	INFORMATION REGARDING THE STAFF	
23	Does the school have well defined service rules and conditions for its employees as per prevalent norms of appropriate Government?	YES
24	Is the school paying salary to the teachers and other employees as per the norms of the appropriate Government?	YES
25	Is the salary to the teachers and other employees of the school being paid through the bank by mode of electronic clearing? (Payment by cheque or cash to the individuals is not allowed)	YES
26	Is the school paying EPF to the teachers and other employees as per the norms of the appropriate Government?	YES

Satish Kumar
PRINCIPAL
SUN SHINE RESIDENTIAL PUBLIC SCHOOL
Affiliated to CBSE N. Delhi Aff. No.-330239
MANER, PATNA-801108 (BIHAR)

PART-B

(This part is to be filled-up by the District Education Officer after verifying all supporting documents and certificates in original and visiting the school)

File No......6540...... Date of Issuance..21/7/2023.....

1	This is to certify that the information above, provided by the school has been verified on the basis of all supporting documents & certificates and visiting the school and the information has been found correct.	
2	Is the school recommended for extension/upgradation of affiliation?	Extension
	Signature (Name and Stamp of Issuing DEO) DISTRICT EDUCATION OFFICER/NAME OF DISTRICT	

जिला शिक्षा पदाधिकारी
पटना

Satish Kumar

(Signature of Principal)

(Signature of D.E.O.)